52

APP-A

Crim-1

बाज०प्रा०पत्र स्वीकार 17.9.19

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विक्रम सिंह पुत्र कल्याण सिंह उर्फ महावीर सिंह जाति राजपूत वगैरा बनाम राम प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत व अन्य

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र बाजदायरी नम्बर 330/2019 सन् 20 19 (33) (सिरोही कलां)

2019/00330

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री गजेन्द्र सिंह एड श्री	
17.9.19	यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी (अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने) श्री गजेन्द्र अरूण प्रजापति एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 15.01.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पेश किया है। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है, जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्रों व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। तत्पश्चात बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है किन्तु अभिभाषक प्रार्थीगण, अपील में रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी आवश्यक रूप से पेश करेगें। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	